महेरा बनाम दूल्हराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील नं.– 04/22.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07.03.2022	पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील अपीलाण्ट को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया। वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि आराजी खसरा नम्बर 92 रकवा 25 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम रूंध रूपवास में प्रार्थीगण 1/24 व 1/9 हिस्से के खातेदार सहकृषक हैं। अप्रार्थी का प्रार्थी के हिस्से की आराजी में कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की आड में वह प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं एवं दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरण करना चाहते हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट/प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। हमने अभिभाषक अपीलाण्ट के बहस तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2022 से प्रार्थी/रैस्पो0 को एक पक्षीय सुना जाकर, अग्रिम पेशी दिनांक 03.03.2022 तक विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करते हुये, अप्रार्थी/अपीलाण्ट की तलवी हेतु नोटिस जारी किये गये थे। परन्तु अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा उक्त नियत पेशी दिनांक 03.03.2022 से पूर्व ही दिनांक 02.03.2022 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके आदेश दिनांक 21.02.2022 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाते। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। यह राही है कि विधिक प्रावधानो के अनुसार एक पक्षीय पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को एक माह में अंतिम रूप से निस्तारित किया जाना आवश्यक है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 पेज 409 माननीय राजस्व मण्डल बृहदपीठ एवं न्यायिक नजीर डी0एन0जे0 2014(1) पेज 35 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्तान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण Venkatasubbiah Naidu Vs. S. Ahallappan & Ors 2000(3) के फैसले को संदर्भित करते हुये, इसी प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। परन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी/अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के बजाय अपील में आ गये हैं। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.02.2022 को पारित की गयी है। तत्पश्चात् अप्रार्थी की तलवी हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। परन्तु अप्रार्थी/अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। इस प्रकार हम अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर प्रकरण के निस्तारण किये जाने में कोई देरी करना नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट संधारणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर ही खारिज योग्य समझते हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। 07-03-2022 (अखिलेश कुमार पिपल) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	